मौसम आधारित फसल बीमा योजना

राज्य में प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2007–08 से लागू की गई है ।

इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

1– यह योजना सभी ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य है एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए स्वेच्छिक है । इस योजना में बीमित राशि फसलों का लागत मूल्य {कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन} के आधार पर निर्धारित किया गया है । बीमित कृषक द्वारा खाधान्न एवं तिलहनी फसलों हेतु प्रीमियम राशि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार ही देय होगी ।खरीफ बाजरा एवं तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 3.5 प्रतिशत दलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2.5 प्रतिशत रबी में गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के लिए 2.00 प्रतिशत की दर से प्रीमियम राशि कृषकों को वहन करनी होगा ।

वाणिज्यिक फसलों के लिए इस योजना में अधिकतम 6.00 प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा वहन किया जाएगा । मौसम आधारित फसल बीमा योजना में कृषक द्वारा वहन की गई प्रीमियम राशि के अतिरिक्त शेष प्रीमियम राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को दी जाएगी ।

2– मौसम आधारित फसल बीमा योजना में भी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की भांति ही विगत 5 वर्षो के औसत क्षेत्रफल 500 हैक्टर या अधिक होने पर तहसील को अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है । गेहूं फसल के लिए तीन वर्षो का औसत क्षेत्रफल रखा गया है ।,

3– मौसम आधारित बीमा योजना में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को प्रीमियम में सहायता के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि जैसे बैंक सर्विस चार्जेज, प्रचार–प्रसार, प्रशासनिक व्यय, मुआजा में हिस्सा राशि आदि वहन नहीं करनी पड़ेगी जबकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में प्रीमियम राशि से अधिक मुआवजा होने पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किए जाने का प्रावधान निहित किया हुआ है ।

4– मौसम आधारित बीमा योजना में मौसम के मापदण्ड जैसे तापमान में वृध्दि अथवा कमी, बरसात की मात्रा एवं हवा में नमी आदि के आधार पर विगत 25 वर्षो में भारतीय मौसम केन्द्रों के आंकड़ों के अनुसार गणना कर तहसीलवार/फसलवार मानक तैयार किए गए हैं जिनके आधार पर तहसील स्तर पर स्थापित मौसम केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों से तुलना कर क्षतिपूर्ति की स्थिति में 45 दिवस में बीमित कृषकों को भुगतान किया जाएगा ।

Seasonwise WBCIS Progress

Season	Farmer Insured in Lac No	Sum Insured (Rs. In crore)	Premium collected farmers (Rs. In crore)	Claims (Rs in crore)	Farmers Benefited (Lac No.)	State Share(Rs in crore)
Rabi 2007-08	**5.91**	**1626.4**	**46.13**	**83.49**	**1.67**	**51.36**
Kharif 2008	**0.19**	**40.45**	**1.51**	**1.94**	**0.055**	**2.00**
Rabi 2008-09	**0.24**	**157.09**	**3.52**	**8.19**	**0.10**	**5.66**
Kharif 2009	**3.20**	**517.52**	**18.8**	**44.58**	**2.42**	**20.58**
Rabi 2009-10	**6.59**	**1160.97**	**33.52**	**105.93**	**2.42**	**50.14**
Kharif 2010	**35.20**	**2722.62**	**92.89**	**36.47**	**5.46**	**104.96**
Note : Kharif 2010 claims data shown above are provisional						